न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 02/2022–23

–:आदेश:–

11/01/23 अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक– 1615, दिनांक – 19. 12.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदिका 1. लगोनी मंझियान, 2.रानी मंझियान, पिता– स्व0 रंगाल मांझी, 3. रूबीलाल मराण्डी, पिता– स्व0 चुनु मरांडी उर्फ चुड़का मरांडी, साकिम– बरियो, थाना– गोविन्दपुर, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– बरियो, मौजा नं0– 161, पुराना खाता नं0– 09, पुराना प्लॉट नं0– 353, नया खाता नं0– 197, नया प्लॉट सं0– 371, रकवा– 07 डिसमील भूमि क्रेता पुनम देवी, पिता– मोहकलाल मराण्डी, साकिम– ढेकजोरा, धोरियो मघुबनी, थाना– गोविन्दपुर, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के संथाल है तथा दोनो एक ही थाना– गोविन्दपुर, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 474 डिसमील भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

11/1/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

11/1/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 11:43:41 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner